eRL; d"kd fodkl vfHkdj.k dkxMk fLFkr ikyeiqj] rglhy ikyeiqj] ftyk dkxMk]

fgekpy in’k d y[kkvk dk vd{k.k ,o fujh{k.k ifronu

vof/k 1-4-10 l 31-3-11

Hkkx&,d

1 xr vd{k.k ,o fujh{k.k ifronu%&

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों पर की गई कार्यवाही के अवलोकनोपरान्त नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से हैः–

¼d½ vd{k.k ,o fujh{k.k ifronu vof/k 4@06 l 3@07

पैरा–6	अनिर्णीत
पैरा–7 (2)	निर्णीत (प्रस्तुत उत्तर एवं मूल अभिलेख की सत्यापना उपरान्त)
पैरा–7 (3)	अनिर्णीत

¼[k½ vd{k.k ,o fujh{k.k ifronu vof/k 4@08 l 3@09

पैरा–6	निर्णीत (प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
पैरा–8	निर्णीत (पुनः प्रारूपित पैरा संख्या 11 (1))
पैरा–9	निर्णीत (प्रस्तुत उत्तर एवं मूल अभिलेख की सत्यापना उपरान्त)

¼x½ vd{k.k ,o fujh{k.k ifronu vof/k 4@09 l 3@10

पैरा–6	निर्णीत	(प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
पैरा–7	निर्णीत	(प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
पैरा–8	निर्णीत	(प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
पैरा–9	निर्णीत	(प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
पैरा–10	निर्णीत	(प्रस्तुत उत्तर एवं अभिलेख की सत्यापना उपरान्त)
पैरा–11 (i)	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित पैरा 11 (i))
पैरा–11 (ii)	अनिर्णीत	
पैरा–11 (iii)	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित पैरा 11 (ii))
पैरा–12	निर्णीत	(लॉग बुक की सत्यापना उपरान्त)
पैरा–13	निर्णीत	(डाक टिकटों का व्यय अभिकरण हेतु किए जाने की पुष्टि उपरान्त)

पैरा–14	निर्णीत	(षासी निकाय की स्वीकृति एवं लैपटॉप का प्रयोग भ्रमण के दौरान मत्स्य पालको को मत्स्य पालन की तकनीकी जानकारी प्रयोगात्मक रूप में प्रदान करने हेतु प्रयोग किए जाने की पुष्टि उपरान्त)
पैरा–15	निर्णीत	(कनिष्ठ अभियन्ता की पैतृक विभाग में वापिसी एवं वरिष्ठ सहायक पद हेतु दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर)

Hkkx&nks

2 orZeku vads{k.k%&

मत्स्य कृषक विकास अभिकरण पालमपुर के लेखाओं का अंकेक्षण श्री राज कुमार, अनुभाग अधिकारी व श्री सुषील कुमार आर्टिकल असिस्टैंट द्वारा दिनांक 16.2.2012 से 25.2.2012 तक पालमपुर में किया गया। विस्तृत जांच हेतु निम्नलिखित मासों के लेखाओं का चयन किया गया जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

vk;%& 10@10

O;;%& 3@11

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण अभिकरण के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं एवं अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर किया गया है। कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रदान की गई किसी भी गलत सूचना एवं सूचना न प्रदान करने के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग का उत्तरदायित्व केवल विस्तृत जॉच हेतु चयनित मांसों तक ही सीमित है।

3 foÙkh; fLFkfr%&

मत्स्य कृषक विकास अभिकरण, पालमपुर के लेखाओं अवधि 4/10 से 3/11 की आय–व्यय विवरणिका तुलनापत्र संलग्न परिषिष्ट "क" पर दर्षाया गया है।

4 vads{k.k 'kqYd%&

मत्स्य कृषक विकास अभिकरण पालमपुर के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण करने का षुल्क राषि ₹8800/–आंका गया है। जिसे अभिकरण के कार्यकारी अधिकारी द्वारा निदेषक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग के नाम के0सी0सी0वी0 पालमपुर के बैंक ड्राफ्ट संख्या 831232 दिनांक 25.2.12 के माध्यम से पंजीकृत डाक द्वारा भेज दिया है।

5 vuqnku%&

वर्ष 2010–11 के दौरान अभिकरण को निम्नलिखित अनुदान सहायता प्राप्त हुईः–

Ø0la0	Lohd`r i= la[;k	fnukad	L=ksr	jkf'k
1	फिष–एफ(5)–29 / 90–जला0–07–8866–70	6.9.10	राज्य भाग	600000
2	फिष–एफ(5)–29 / 90–जला0–07–11171–76	12.11.10	राज्य भाग	143000
3	फिष–एफ(5)–29 / 90–जला0–07–11165–69	12.11.10	राज्य भाग	116000
4	फिष–एफ(5)–29 / 90–जला0–07–2002–06	9.3.11	राज्य भाग	194000
5	फिष–एफ(5)–29 / 90–जला0–07–2008–012	9.3.11	राज्य भाग	9000
			कुल योग	1062000

इसके अतिरिक्त अभिकरण के पास दिनांक 1.04.2010 को गत वर्ष की ₹14.744 लाख (केन्द्र भाग ₹9.106 लाख व राज्य भाग ₹5.638 लाख) की राषि अर्थषेष के रूप में उपलब्ध थी जिसे वर्ष 2010–11 में व्यय करने की स्वीकृति प्रधान सचिव (मत्स्य पालन), हिमाचल प्रदेष सरकार के पत्र संख्या फिष–सी (3)–1 / 2009 दिनांक 28.4.2010 द्वारा प्रदान की गई है। इस प्रकार अभिकरण के पास वित्तीय वर्ष 2010–11 में कुल ₹25.364 लाख की राषि उपलब्ध थी।

6 fnukad 31-3-11 dks vuqnku dh jkf'k ₹12-26 yk[k 0;; gsrq 'ks"k%&

अभिकरण के अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि वर्ष 2009–10 में प्राप्त (केन्द्र व राज्य से) अनुदान सहायता राषि को निर्धारित लक्ष्यों पर विहीत अवधि में व्यय न करने के कारण ₹14,74,400 / –षेष थे जिसको वर्ष 2010–11 में व्यय करने की स्वीकृति अभिकरण द्वारा हिमाचल प्रदेष सरकार के पत्र संख्या फिष–सी (3)–1 / 2009 दिनांक 28.4.2010 के अन्तर्गत प्राप्त हुई। वर्ष 2010–11 के दौरान ₹10,62,000 / –अनुदान सहायता के रूप में (राज्य भाग) प्राप्त हुए। अभिकरण के पास वर्ष 2010–11 में निर्धारित लक्ष्यों पर व्यय करने हेतु ₹25,36,400 / –की राषि उपलब्ध थी। इस राषि में से वर्ष 2010–11 के दौरान ₹13,10,800 / –निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु व्यय किए गए। वित्तीय वर्ष के अन्त में ₹12,25,600 / –दिनांक 31.3.11 व्यय न करने के कारण षेष थे। वित्तीय वर्ष 2010–11 में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु उपलब्ध अनुदान राषि ₹25,36,400 / –में से 48.32 प्रतिषत से अधिक अनुदान राषि व्यय न करने के कारण षेष बची रहना एक गम्भीर अनियमितता है। अतः षेष सक्षम अधिकारी की स्वीकृति उपरान्त षेष राषि को व्यय करना सुनिष्चित करें।

7 jkf'k ₹0-22 yk[k dh okLrfod jlhn iLrqr u djus ckjs&

मत्स्य कृषक विकास अभिकरण द्वारा निम्न प्रकरणो में लाभार्थियों को बहते पानी से मत्स्य पालन तथा तालाब निर्माण के लिए नियमानुसार अनुदान राषि स्वीकृत की गई थी परन्तु लाभार्थियों में अनुदान प्राप्ति की निम्न विवरणुसार वास्तविक रसीदें अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं की गई है। अपेक्षित रसीदें आगामी अंकेक्षण पर षीध्र उपलब्ध करवाई जानी सुनिष्चित की जाए।

Ø0l0	ykHkkFkhZ dk uke	fnukd	jkf'k
1	व्यासा देवी पत्नी श्री मुहब्बत सिंह निवासी कवेरा तहसील ज्वाली जिला कांगड़ा (हि0प्र0)	29.3.11	864
2	राकेष कुमार सुपुत्र श्री नौलू राम निवासी नादौन तहसील नदौन जिला हमीरपुर (हि0प्र0)	29.3.11	4000
3	विषम्बर दास सुपुत्र श्री अजुध्या दास निवासी वदारन तहसील नादौन जिला हमीरपुर (हि0प्र0)	29.3.11	600
4	विजय कुमार सुपुत्र श्री धनी राम निवासी लोहारड़ा तहसील व जिला हमीरपुर (हि0प्र0)	29.3.11	1170
5	रणवीर सिंह सुपुत्र श्री षमीर सिंह निवासी जसोह तहसील नादौन जिला हमीरपुर (हि0प्र0)	29.3.11	4575
6	बलवन्त सिंह सुपुत्र श्री साधु राम निवासी बनाल तहसील सुजानपुर जिला हमीरपुर (हि0प्र0)	29.3.11	2115
7	दुनी चन्द सुपुत्र श्री षिवो राम निवासी बनाल तहसील सुजानपुर जिला हमीरपुर (हि0प्र0)	29.3.11	1463
8	रणदीप सिंह सुपुत्र श्री प्रकाष चन्द निवासी मसलाणा खुर्द तहसील बड़सर जिला हमीरपुर (हि0प्र0)	29.3.11	960
9	ओकार षर्मा सुपुत्र श्री पोलो राम निवासी धुम्मा तहसील बड़सर जिला हमीरपुर (हि0प्र0)	29.3.11	1444
10	कालू राम सुपुत्र श्री लोभी राम निवासी घुमारवीं तहसील भोरंन्ज जिला हमीरपुर (हि0प्र0)	29.3.11	684
11	षेर सिंह सुपुत्र श्री चन्दू राम निवासी लगवाण तहसील व जिला हमीरपुर (हि0प्र0)	29.3.11	1125
12	बख्तावर सिंह सुपुत्र श्री लच्छमण दास निवासी तरंगवाल तहसील नादौन जिला हमीरपुर (हि0प्र0)	29.3.11	780
13	जगत राम सुपुत्र श्री जोगल राम निवासी सेऊं तहसील भोरंज	29.3.11	1320

	जिला हमीरपुर (हि0प्र0)		
14	प्रवीण कुमारी पत्नी श्री मदन लाल निवासी बालू तहसील भोरंज जिला हमीरपुर (हि0प्र0)	29.3.11	980
		;kx	22080

9 अंकेक्षण हेतु चयनित माह 3/11 के व्यय वाउचरों की जांच करने पर पाया गया कि सभी बिल/वाऊचरों व तालाब सुधार अनुदान व तालाब निर्माण अनुदान की राषियों का भुगतान अभिकरण में कार्यरत्त कर्मचारियों के नाम चैक काटकर, कर्मचारियों द्वारा पहले स्वंय चैक की राषि प्राप्त की जाती है तदोपरान्त सम्बन्धित फर्मों को नकद व अनुदान की अवस्था में सम्बन्धित लाभार्थियों को बैक ड्राफ्ट बनवाकर वितरित की दर्षाई है। लाभार्थियों को बैंक ड्राफ्ट बनवाकर भुगतान करने की पुष्टि अंकेक्षण के दौरान नहीं की गई क्योंकि किसी भी ड्राफ्ट की छायाप्रति अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं की गई है। अभिकरण द्वारा भुगतान करने की उक्त प्रथा सन्देहात्मक है। नियमानुसार ₹500/–से उपर सभी भुगतान, भुगतान प्राप्तकर्ता फर्म व अनुदान की अवस्था में लाभार्थियों के नाम सीधे तौर पर चैक काट कर किया जाना अनिवार्य है। ताकि भुगतान में पारदर्षिता स्थापित हो सके। इस विषय को गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी उठाया गया था लेकिन अभिकरण द्वारा अंकेक्षण के सुझाव अनुसार भुगतान करने की अनुचित परम्परा को न बदलना अभिकरण के अधिकारियों व कर्मचारियों को सन्देह के घेरे में लाती है। अतः भुगतानों में पारदर्षिता स्थापित करने के उद्देष्य से पुनः अनुरोध किया जाता है कि सभी भुगतान प्राप्तकर्ता फर्म, संस्था व लाभार्थियों के नाम चैक काटकर किए गए ताकि भुगतानों में पारदर्षिता परिलक्षित हो सके।

10 foÙkh; o"k 2010&11 e fu/kkfjr Hkkfrd y{;k dh ikfIr u gkuk&

अभिकरण पालमपुर हेतु वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिए भौतिक लक्ष्यों का निर्धारण अभिकरण के षासी निकाय की 19वीं बैठक के मद संख्या–05 के अन्तर्गत किया गया जिसकी प्रगति का कुल एवं जिलावार विवरण निम्न प्रकार से हैः–

Ø0 l0	en dk uke	bdkbZ	fu/kkfjr y{; 2010&11	y{; ikfIr 2010&11
1	तालाब निर्माण	हैक्टेयर	10	6.7414
2	तालाब सुधार	हैक्टेयर	6	4.5434
3	हैचरी की स्थापना	संख्या	1	0
4	एकीकृत मत्स्य पालन	संख्या	1	0
5	फीडमील की स्थापना	संख्या	1	0
6	प्रषिक्षण कार्यक्रम (प्रगतिषील मत्स्य कृषकों को प्रदेष से बाहर प्रषिक्षण प्रदान करने हेतु)	संख्या	40	0
7	मत्स्य उत्पादन	मीट्रिक टन	460	461

उपरोक्त भौतिक लक्ष्यों का जिलावार प्राप्ति विवरण निम्न प्रकार से है:–

Ø0 l0	en@bdkbZ	pEck		dkxMk		gehjiqj		e.Mh		dqYyw	
		y{;	ikfIr	y{;	ikfIr	y{;	ikfIr	y{;	ikfIr	y{;	ikfIr
1	तालाब निर्माण (हैक्टेयर)	0.70	0.2250	5.50	5.8404	2.00	0.14	1.80	.5360	00	00
2	तालाब सुधार (हैक्टेयर)	0.10	00	3.40	2.5813	1.50	1.9621	1.00	00	00	00

उपरोक्त विवरण से स्वतः स्पष्ट है कि पालमपुर अभिकरण वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु षासी निकाय की बैठक में निर्धारित भौतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु असमर्थ रहा जिसका उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए। अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

11 eY; âkl dh x.kuk dh nks"kiw.kZ iz.kkyh o lEifr jftLVj dk u yxk;k tkukA&

स्थाई सम्पत्ति के परिषिष्ट दिनांक 31.3.11 के अनुसार मूल्य ह्रास की गणना करते समय स्थाई सम्पत्ति में हुई बढ़ौतरी को नहीं दर्षाया गया है। वाहन की मुरम्मत करने पर उसके मूल्य में मुरम्मत एवं रख–रखाव व्यय जोड़ा जाना चाहिए था और उसके मूल्य में बढ़ौतरी के उपरान्त ही ह्रास लगाया जाना था। परन्तु अभिकरण द्वारा स्थाई सम्पत्ति का कोई भी रजिस्टर नहीं लगाया गया। ह्रास की गणना बिना सम्पत्ति रजिस्टर से करना सम्भव नहीं हैं वाहन जिप्सी एच0पी0 24–0110 की मुरम्मत एवं रख रखाव पर वर्ष 2010–11 में व्यय की गई राषि ₹61260/–को वाहन जिप्सी के मूल्य में बढ़ौतरी न करके ₹6962/–ही दर्षाई गई है जबकि लेखांकन के नियमानुसार जिप्सी के मूल्य में वर्तमान मूल्य और उस पर खर्च की गई राषि को जोड़ कर ह्रास लगाया जाना था। जिप्सी का दिनांक 31.3.11 को दर्षाया गया किताबी मूल्य ₹5570/–है। अतः प्रत्येक स्थाई सम्पत्ति का अलग–2 लेखा रखा जाए और जिप्सी के बाजारी मूल्य का आंकलन करवाया जाए उसे ही किताबी मूल्य निर्धारित किया जाए व तदोपरान्त आगामी वर्षों में ह्रास की गणना की जाए। अतः अपेक्षित कार्यवाही करने उपरान्त कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11-1 सभी सम्पत्तियों पर ह्रास की प्रतिषतता की दर का क्या आधार है व ह्रास की प्रतिषतता (वार्षिक) किन नियमों के आधार पर निर्धारित की गई है, से भी आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। ऐसा प्रतीत होता है कि ह्रास की प्रतिषतता के निर्धारण से पूर्व सम्पत्तियों की जीवन अवधि को मध्यनजर नहीं रखा गया है जिसके फलस्वरूप सभी सम्पत्तियों का किताबी मूल्य वास्तविक वर्तमान मूल्य से अत्याधिक कम दर्षाया गया है। अतः ह्रास की पद्धति ह्रास की प्रतिषतता का पुनः निर्धारण लेखांकन के नियमानुसार किया जाना अपेक्षित है ताकि किताबी मूल्य व वास्तविक वर्तमान मूल्य में आ रहे अन्तर का समाधान सम्भव हो सके।

12 jkdM+ ogh dk j[k j[kko fu;ekuqlkj u djuk%&

मत्स्य कृषक विकास अभिकरण की रोकड़ वही की जांच करने पर पाया गया कि रोकड़ वही का रख रखाव नियमानुसार नहीं किया गया है। रोकड़ वही में न तो प्रतिदिन व प्रत्येक माह का आरम्भिक षेष उठाया गया है व न ही प्रतिदिन व प्रत्येक माह का अन्तिम षेष निकला जाता है। रोकड़ वही व बैंक खाते में अन्तर की स्थिति में माह की अन्तिम तारीख को बैंक समाधान विवरण भी तैयार नहीं किया जाता है जो कि एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। अतः रोकड़ वहीं में प्रत्येक दिनांक का आरम्भिक एवं अन्तिम षेष न दर्षाने का कारण स्पष्ट किया जाए व तुरन्त प्रभाव से अंकेक्षण के दिषा–निर्देषानुसार रोकड़ वही का रख रखाव निर्धारित नियमों के अनुरूप किया जाना सुनिष्चित किया जाए। अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13 y/kq vkifÙk foojf.kdk%& यह अलग से जारी नहीं की गई है।

14 fu"d"k%& लेखों के रखाव में सुधार की आवष्यकता है।

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेष, षिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः वित्त (ले0प0)मु0(सी)15(14)181/95–खण्ड–6 दिनांक, षिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 उप सचिव (मत्स्य) हि0प्र0 सरकार, षिमला–2

2 मुख्य मत्स्य प्रारक्षी, मत्स्य पालन निदेषालय, हि0प्र0 बिलासपुर, जिला बिलासपुर।

i;thd`r 3 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य कृषक विकास अभिकरण कांगड़ा स्थित पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 को इस आषय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का सटिप्प्ण उत्तर प्रतिवेदन के जारी होने के एक मास के भीतर प्रेषित करें।

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेष, षिमला–171009.